न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,डीग

मु0 नम्बरः– 137/2016(जी.सी.एम.एस. 2013/00050) पीठासीन अधिकारीः–श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. छिद्दाराम उर्फ जालिम सिंह
2. हरी चन्द

पिस0 धरमा जातियान लोधा नि0 ग्राम सोनगॉव तहसील डीग

–वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय प्रतिनिधि राज0 सरकार

–प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 19.12.2024

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया गया है कि नवीन आराजी खसरा नम्बरान 673/0.25, 1546/2.51, 668/1.52,वाके ग्राम सोनगॉव तहसील डीग में स्थित है।

आराजी खसरा नम्बर 673/0.25, 1546/2.51 सालिम तथा ख0 नम्बर 668/1.52 का हिस्सा 60/152 वाके ग्राम सोनगॉव तहसील डीग को बन्दोवस्त हाल में साविक आराजी खसरा नम्बरान 771/2–3, 1129 मिन व 773/2–15, 772/1–2 के बदले में बनाया गया है जोकि वादीगण के पिता धरमा पुत्र मानकचन्द की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिस पर वादीगण का पिता सम्बत 2012 से पूर्व से तथा पूर्वजों के समय से वाहैसियत खातेदार का तकार काबिज चले आ रहे थे। वादीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है जिसके बाद से वादीगण वाहैसियत वारिस वाहैसियत खातेदार काश्तकार उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त वाहैसियत खातेदार होते हुए भी हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण को विवादित आराजी का गैर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जा रहा है जोकि गलत है तथा मुताविक कानून विवादित आराजी पर वादीगण को हकूक खातेदारी प्राप्त हो चुके है। ऐसे में वादीगण अपने आपको गैर खातेदार से खातेदार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। जिला कलक्टर महोदय राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरूद्व दावा दायरी से पूर्व अन्तर्गत धारा 80 जा.दी. नोटिस मियादी दो माह दिया जाना आवश्यक होता है जोकि जरिये रजिस्टर्ड ए.डी.डॉक भिजवाया जा चुका है। अतः निवेदन है कि नवीन आराजी खसरा नम्बरान 673/0.25, 1546/2.51सालिम तथा खसरा नम्बर 668/1.52 का हिस्सा 60/152 वाके ग्राम सोनगॉव तहसील डीग पर वादीगण वाहिस्सा बरावर खातेदार काश्तकार काबिज है तथा हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण को जो गैर खातेदार दर्ज किया जा रहा है उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दावा वादिया दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रति0/जबाव सरकार दिनांक 26.12.2019 को पेश हुआ।

दावा व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर निम्नांनुसार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 673/0.25, 1546/2.51 व 668/1.52 हैक्टे0 वाके ग्राम सोनगॉव तहसील डीग पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?
2. दादरसी?

साक्ष्य वादीगण में वादी संख्या 02 के बयान पंजीबद्व कराये जाकर आगे साक्ष्य वादीगण कराये जाने से इन्कार किया गया। इसके उपरांत प्रकरण को वास्ते फाईनल बहस रखा गया।

प्रकरण में दिनांक 25.11.2021 को प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जा.दी. प्रार्थीगण छुट्टन,बड्डन,विजय सिंह पुत्रगण भूरी सिंह जाति लोधा निवासी सोनगॉव तहसील डीग की ओर से पेश किया गया। दिनांक 24.03.2022 को जबाव प्रार्थना पत्र वकील वादीगण की ओर से पेश किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जा.दी. पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र मैण्टेनेबिल नहीं होने से खारिज किया जाकर दावे को अन्तिम बहस में रखा गया।

दिनांक 03.12.2024 को दावे पर वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा बहस के दौरान दावे में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि नवीन आराजी खसरा नम्बरान 673/0.25, 1546/2.51सालिम तथा खसरा नम्बर 668/1.52 का हिस्सा 60/152 वाके ग्राम सोनगॉव तहसील डीग पर वादीगण वाहिस्सा बरावर खातेदार का तकार काबिज है तथा हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण को जो गैर खातेदार दर्ज किया जा रहा है उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोशित किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,जबाव सरकार,बयान गवाह का अवलोकन तथा वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया।

हमने वादपत्र,पैरोकार सरकार के जबाव पीडब्ल्यू–1हरीशचन्द के बयान,वकील वादीगण की बहस एवं पैरोकार सरकार की लिखित बहस वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड,मौके एवं कब्जे के सम्बन्ध में तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

ग की रिपोर्ट तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन किया गया। ादीगण के पिता धरमा पुत्र मानिकचन्द मुताविक जमाबन्दी सम्बत 2065 से 2068 खसरा नम्बर 673 कबा 0.25 हैक्टे0 किस्म चाही—2, रकबा 0.20 जाब—2, रकबा 0.05,खसरा नम्बर 1546 रकबा 2.51 क्टे0 किस्म चाही—2, के सम्पूर्ण हिस्से एवं खसरा नम्बर 668 रकबा 1.52 हैक्टे0 किस्म चाही—2 कबा 1.21 हैक्टे0 जाब—2 रकबा 0.31 हैक्टे0 के हिस्सा 60/152 वाके ग्राम सोनगॉव तहसील डीग के गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है,प्रदर्श—1 है।

तहसीलदार डीग के पत्रांकःएल.आर./24/3032 दिनांक 17.12.2024से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जमाबन्दी सम्बत 2073—76 के खाता संख्या 403 के खसरा नम्बर 673 रकबा 0.25, 1546 रकबा 2.51 किता—2 पर छिद्वाराम,हरीशचन्द,रामवती,शिवदेई,शीला,सौमोती पि0 धरमा वाहिस्सा बरावर 6/8 जाति लोधा सा0देह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है एवं खसरा नम्बर 668 रकबा 1.52 जमाबन्दी सम्बत 2073—2076 के खाता संख्या 84 पर छिद्वा उर्फ जालिम सिंह,हरीशचन्द पिस0 धरमा वाहिस्सा 30/76 जातियान लोधा गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मुताविक दर्ज रिकार्ड सभी काश्तकारों द्वारा हिस्सा मुताविक काश्त की जा रही है। वर्तमान में वर्णित भूमि पर नाला नहीं है,समतल भूमि है तथा मुताविक रिकार्ड प्रतिबंधित भूमि नहीं है।

मुताविक मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 हाल खसरा नम्बर 673 रकबा 0.25 साविक खसरा नम्बर 771 रकबा 2वीघा 3 विस्वा,हाल खसरा नम्बर 1546 रकबा 2.51 हैक्टे0 साविक खसरा नम्बर 1129 मिन रकबा 4वीघा ,हाल खसरा नम्बर 668 रकबा 1.52 हैक्टे0 साविक खसरा नम्बर 769रकबा 2वीघा 16 विस्वा, 773 रकबा 2वीघा 15 विस्वा, 772 रकबा 1वीघा 2 विस्वा, 774 रकबा 14 विस्वा 782 रकबा 2वीघा 8 विस्वा से बना है, प्रदर्श—4 है। मुताविक मिसल बन्दोवस्त सम्बत 2040 खसरा नम्बर 1546 रकबा 2.51किस्म चाही ,खसरा नम्बर 673 रकबा 0.25 चाही दोयम, जाब दोयम वादीगण के बाबा धरमा के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्बत 2024 से 2027 खसरा नम्बर 1129मिन रकबा 4वीघा किस्म कदीम, 769 रकबा 2 वीघा 16 विस्वा किस्म बारानी, खसरा नम्बर 774 रकबा 14विस्वा किस्म कदीम धरमा के नाम सा.देह खातेदार दर्ज है,प्रदर्श—6 है। खसरा नम्बर 771 रकबा 2 वीघा 3 विस्वा किस्म गै.मु.नला खसरा नम्बर 772 रकबा 1वीघा 2 विस्वा किस्म गै.मु.नला,खसरा नम्बर 773 रकबा 2 वीघा 15 विस्वा किस्म गै.मु. नला वादीगण के दादा धरमा पुत्र मानकचन्द के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्बत 2020 से 2023 प्रदर्श—3है।

पैरोकार सरकार का कथन रहा है कि गत खसरा नम्बर 771,772,773 मुताविक जमाबन्दी सम्बत 2020 से 2023 किस्म गै.मु.नला दर्ज रिकार्ड है। खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित नहीं है। तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताविक मौके पर कोई नला नहीं है, समतल भूमि है तथा प्रतिबंधित भूमि नहीं है जोकि कृषि भूमि है। जमाबन्दी के हिस्सा अनुसार ही काश्तकारों द्वारा कश्त की जा रही है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने डी.बी.सिविल रिट पिटीसन नम्बर 10384/2010 निर्णय दिनांक 9.03.2011 में डायरेक्टर जनरल रिसर्च एण्ड डवलपमेंट बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के द्वारा यह ात अभि निर्धारित किया है कि जहॉ वास्तव में भौतिक रूप से नदी आदि नहीं वहॉ अब्दुल रहमान के मायने में नहीं आता है।

अतः वादीगण का वाद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य व कानूनी नजीरों तथा तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट्स से सावित होता है। ऐसी स्थिति में हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 टि0 एक्ट, को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :–

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर **स्वीकार** किया जाता है। नवीन आराजी खसरा नम्बरान 673/0.25, 1546/2.51, 668/1.52,वाके ग्राम सोनगॉव तहसील डीग में स्थित आराजी पर वादीगण को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार डीग राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही से पूर्व यह सुनिश्चित करलें कि वादीगण पर कोई नियमानुसार राजकीय शुल्क तो बकाया नहीं है,अगर राजकीय शुल्क बकाया हो तो सम्बन्धित वादीगण से नियमानुसार शुल्क/राशि जमा राजकोष कराई जाकर वर्णित आराजी का राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner